



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223941
CG-DL-E-26122020-223941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4119]
No. 4119]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4682(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24 [(किमी 8.340 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा - गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 से किमी 46.004 (रारा 27 का नया संरेखण) इलाहाबाद से उ. प्र./म. प्र. सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 28सी [किमी 00.000 से किमी	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"।

93.000 (बाराबंकी – जरवाल - बहराइच – रुपईडिहा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 29 {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी – गोरखपुर खंड) और गोरखपुर बाइपास तक को छोड़कर}], सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक को छोड़कर}], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए [किमी 0.00 से किमी 16.00 (छुटमलपुर-गणेशपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 (भागूवाल के निकट उत्तराखंड/उ. प्र. सीमा से जसपुर के निकट उ. प्र./उत्तराखंड सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर] और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सितारगंज-बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कवरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93 [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96 (नई सं. 330) [किमी 95.100 से किमी 82.000 (कटका मोड़ – सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 233 [किमी 65.870 से किमी 299.350 (घग्घर पुल भारत नेपाल सीमा से वाराणसी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 235 {किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 931 और नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 330बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी, नई रारा सं. 334डीडी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 731ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 727बी, नई रारा सं. 727एच, नई रारा सं. 727जी, नई रारा सं. 328, नई रारा सं. 328ए, नई रारा सं. 330डी, नई रारा सं. 730बी, नई रारा सं. 731बी, नई रारा सं. 731के, नई रारा सं. 727बीबी, नई रारा सं. 730एस, नई रारा सं. 730सी और नई रारा सं. 135सी के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-4582(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/5/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

S.O. 4682E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“24	So much of National Highways No.2A, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.24 [excluding from km. 8.340 to km. 488.27 (Delhi/Uttar Pradesh Border-Ghaziabad- Moradabad- Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses), No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 to Km. 46.004 (new alignment of NH 27) Allahabad to UP/MP Border Section)], No. 28B, No. 28C [excluding from Km. 00.000 to Km 93.000 (Barabanki-Jarwal- Bahariach-Rupaidiha Section)], No. 29 [excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section) and Gorakhpur Bypass], No.56 [excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh / Uttarakhand Border)], No 72A [excluding from km 0.00 to km 16.00 (Chutamalpur-Ganeshpur Section)], No. 74 [excluding from Km 30.00 to km 132.00 (Uttarakhand/UP Border near Bhaguwala to UP/Uttarakhand Border near Jaspur Section) and excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai Section)], No. 91 [excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur Section)], No.91A, No. 92, No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra-Aligarh- Moradabad Section)], No. 96 (new No. 330) [excluding from Km. 95.100 to Km 82.000 (Katka More-Sultanpur Section)], No. 233 [excluding km. 65.870 to Km 299.350 (Ghagar Bridge Indo Nepal Border to Varanasi Section)], No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut- Hapur Section)], new NH No. 727A, new NH No. 727AA , new NH No. 730, new NH No. 730A, New NH No. 931, and New NH No. 931A, new NH No. 330B, new NH No. 334A, New NH No. 334B, new NH No. 334DD , new NH No. 219, new NH No. 227A new NH No. 731A, new NH No. 730, new NH No. 124C, new NH No. 727B , new NH No. 727H, new NH No. 727G, new NH No. 328, new NH No. 328A, new NH No. 330D, new NH No. 730B, new NH No. 731B , new NH No. 731K , new NH No. 727BB, new NH No. 730S, new NH No. 730C, and new NH No. 135C as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh.”.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4582 (E), dated the 17th December, 2020.

[F. No. NH-14013/5/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director